फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

सीताराम बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–136 एल.आर.ए. मु0नं0– 34/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/25	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खाता संख्या 349 वाके रामा छोकरवाडा तह0 सिकराय में स्थित है जिसमें प्रार्थी सीताराम पुत्र नारायण का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश सीताराम, नारायण पि0 मूल्या हि0 1/2 दर्ज कर दिया जो कि गलत है। इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम दर्ज किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उप तहसीलदार सिकन्दरा से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि ग्राम छोकरवाडा को हाल जमाबंदी के खाता संख्या 349 खसरा नम्बर 597, 598, 599 किता 3 रकबा 1.01 है0 सीताराम पुत्र मूल्या हि0 1/4 नारायण पुत्र मूल्या हि0 1/4 शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तूर दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 447, 448, 449 रहे है। ग्राम छोकरवाडा की साबिक जमाबंदी संवत 2056--2059 के खाता संख्या 271 में वादी का नाम सीताराम पि0 नारायण पि0मु0 मूल्या हि0 1/2 कौम ब्रा0 दर्ज है जो पश्चातवर्ती जमाबंदी संवत 2060–63 में सीताराम नारायण पि0मु0 मूल्या हि0 1/2 अशुद्ध दर्ज हो गया तथा सेग्रीगेशन जमाबंदी में सीताराम पुत्र मूल्या हि0 1/4 तथा नारायण पु0 मूल्या हि0 1/4 होकर वर्तमान में चला आ रहा है। तथा उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि हाल जमाबंदी में सीताराम पुत्र मूल्या हि0 1/4 तथा नारायण पु0 मूल्या हि0 1/4 को एक कर सीताराम पि0 नारायण पि0मु0 मूल्या हि0 1/2 दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात एवं जवाबस्टेट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम सीताराम पि0 नारायण पि0मु0 मूल्या है जो कि गलती से जमाबंदी में सीताराम पुत्र मूल्या हि0 1/4 तथा नारायण पु0 मूल्या हि0 1/4 दर्ज हो गया, जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित विवादित भूमि की हाल जमाबंदी में सीताराम पुत्र मूल्या हि0 1/4 तथा नारायण पु0 मूल्या हि0 1/4 को एक कर सीताराम पि0 नारायण पि0मु0 मूल्या हि0 1/2 दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा